

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 33 / 2020

दायर दिनांक 30.07.2020

उनवान
रफीक मोहम्मद
बनाम
अल्लाउदीन

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आ0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक: 18.12.2020

—:निर्णय:—

पतरावली प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहने के प्रार्थना पत्र पर सिगेह से तलब हुई | वादी ने हाजिर होकर प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी इबारत पढकर सुनायी गयी सुन समझ कर स्वीकार किया व् आदेशिका पर हस्ताक्षर किये| वादी की पहचान अधिवक्ता श्री आशिफ इक़बाल ने की| प्रार्थना पत्र में कार्यवाही नहीं चाहने को स्वीकार कर इसी स्तर पर कार्यवाही ड्रॉप की जाती है| पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो| आदेश सुनाया गया|



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

